न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 60/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जगदीश पुत्र शिवकरण जाति नायक निवासी भडाणा तहसील मूण्डवा, जिला नागौर (राज0).		1. अणदाराम पुत्र गणेशराम 2. सुखाराम पुत्र गणेशराम 3. जगदीश पुत्र गणेशराम 4. बाबू उर्फ बाबूलाल पुत्र गणेशराम जातियान नायक निवासीगण बोड़वा तहसील जायल जिला नागौर (राजस्थान) 5. तहसीलदार मूण्डवा, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री राजेश रावल, अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय **दिनांक : 12-09-2019**

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत ग्राम भडाणा के खसरा नम्बर 350 गैर मुमकिन मगरा में से 15 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 174/26.06.02 को आवंटन आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–3 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया है।

वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से दो दिन पूर्व अप्रार्थीगण एक राय होकर आये और आवंटन आदेश की आड़ में खसरा नम्बर 350 गैर मुमकिन मगरा पर कब्जा करने का प्रयास किया और उक्त भूमि अपने पक्ष में आवंटन होने का कहते हुऐ लाठी के बल पर कब्जा करने की धमकियां दी तो प्रार्थी ने आवंटन आदेश की नकल हेतु दिनांक 13.05.2016 को आवेदन पत्र पेश किया जिस आवेदन पत्र पर आवंटन आदेश दिनांक 18.05.2016 को नकल प्राप्त हुई व अन्य नकले प्राप्त होने पर अन्दर मयाद आवेदन पत्र पेश किया गया है। आवंटन आदेश अप्रार्थीगण ने कपटपूर्वक व आवंटन अधिनियमों के प्रावधान के खिलाफ करवाया गया है, जिस आदेश की जानकारी होते ही आवेदन पत्र पेश किया गया है, जिसको अन्दर मयाद सुमार किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का आवेदन अन्दर मयाद माने जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने बहस में वकील प्रार्थी के कथनों अस्वीकार करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है। तथा वह जानबूझ कर तथ्यों को छिपा रहा है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी हुए आंवटन आदेश की जानकारी प्रार्थी को बहुत पहले से ही रहती आई है। अप्रार्थी अपने आवंटित भूमि पर काबिज काश्त अपने पिता के समय में आवंटन से पूर्व रहता चला आया है। प्रार्थी बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है, जिसने अपने काका भारमल व उस के पुत्रों सीताराम भगवानराम रामनिवास तथा रिश्ते में लगने वाले भाणजे रामचन्द्र के साथ मिलकर अप्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया तब प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थी व उस के अन्य उपर अंकित रिश्तेदारों के विरुद्ध एक राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी तथा स्थाई व्यादेश का प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

किया जो वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) में बअनवान सुखा वगैरह बनाम भारमल वगैरह प्रकरण संख्या 220/16 विचाराधीन है। जिस में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 6 के रुप में पक्षकार है अप्रार्थी द्वारा उक्त वाद दिनांक 3.10.2012 को प्रस्तुत किया गया जिस में प्रार्थी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 26.6.2002 बाबत स्पष्ट कथन करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अनुतोष चाहा गया है। उक्त प्रकरण की प्रार्थी पर तामील होने पर उस के द्वारा राजस्व न्यायालय में दिनांक 4.12.12 को जरिए अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दी तथा अन्य प्रतिवादीयों के साथ अपना जवाब दावा दिनांक 27.6.13 को प्रस्तुत किया तथा आवंटन आदेश दिनांक 26.6.02 के द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने के तथ्यों बाबत अंकन किया जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करते है कि उक्त आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 18.5.16 से पूर्व ही हो चुकी थी फिर भी प्रार्थी द्वारा जान बूझ कर न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को छिपा कर यह आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी ने इस आवेदन पत्र के माध्यम से आवंटन दिनांक 26.6.02 को निरस्त करवाने की घोषणा का अनुतोष चाहा है जिस के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 में समयावधि 3 वर्ष निर्धारित कर रखी है। साथ ही यदि ऐसे आवेदन जिन के लिए समयावधि उक्त अधिनियम में जिस के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उपबन्धित नही है उन के लिए भी परिसीमा अधनियम 1963 में मयाद 3 वर्ष की निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को आवंटन आदेश दिनांक 26.6.02 की जानकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 3 वर्ष पूर्व ही राजस्व वाद के माध्यम से हो चुकी थी। फिर भी न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश दिनांक 26.6.02 की जानकारी दिनांक 18.5.16 को होना बतला कर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन को मयाद में लाने का असफल प्रयास किया है तथा न्यायालय के समक्ष सशपथ गलत तथ्य अंकित किए है ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र कतई स्वीकार किए जाने योग्य नही है तथा आवेदन पत्र विधि विरुद्व व मयाद बाहर होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य होने का कथन करते हुए उत्तर आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बदयान्ति पूर्ण होने तथा न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को छिपाने व विधि के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज फरमाने एवं मूल आवेदन पत्र को भी मयाद बाहर प्रस्तुत होना मान कर खारिज करने का निवदेन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किये जाने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र एवं मूल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 350 गैर मुमकिन मगरा ग्राम भडाणा तहसील मूण्डवा में से 15 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 26.06.02 को आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु धारा 14(4) आवंटन नियम के तहत यह अपील तथा अपील के साथ यह मयाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 14(4) आवंटन नियमों में आवेदन पत्र पेश करने हेतु मयाद निर्धारित की हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र मात्र मयाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा धारा 14(4) आवंटन नियमों में आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा दिये गये तथ्यों के मध्य नजर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकुलाय की वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 14(4) आवंटन नियम बहस अंतिम सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने कथन किया की प्रार्थी ग्राम भडाणा का स्थायी निवासी है तथा अप्रार्थीगण ग्राम बोडवा तहसील जायल के स्थायी निवासीगण है। खसरा नम्बर 350 गैर मुमकिन मगरा ग्राम भडाणा तहसील मूण्डवा में स्थित है तथा खसरा नम्बर 350 मे से 15 बीघा भूमि आंवटन कमेटी पंचायत समिति मूण्डवा में अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन की गई लेकिन उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई कभी भी किसी तरह का कब्जा नहीं रहा और न ही आज दिन है। आज दिन तक उक्त भूमि मगरा के रुप में उपयोग एवं उपभोग में आ रही है इस भूमि का आंवटन का सार्वजनिक रुप से उपयोग में आ रही है इस भूमि का आंवटन का सार्वजनिक रुप से उपयोग एवं उपभोग का कोई किसी तरह का कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण ग्राम बोडवा तहसील जायल के स्थायी निवासीगण है लेकिन अप्रार्थीगण में उक्त मगरा की भूमि को हडपने की नीयत से अपने आपको ग्राम भडाणा के स्थायी निवासी बताते हुए फर्जी तरीके से व झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश कर कपट पूर्वक आवंटन कमेटी से आवंटन करवाया गया है, जबकि आवंटन अधिनियम के अनुसार आवंटन उसी व्यक्तियों के पक्ष में किया जाता है जिस ग्राम में भूमि स्थित होती है आवंटी भी उसी ग्राम का स्थायी निवासी होना चाहिए। जबकि अप्रार्थीगण ग्राम बोडवा तहसील जायल के स्थायी निवासीगण है जिससे आवंटन आदेश आवंटन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण का आवंटन की गई भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा और न ही आज दिन है और न ही कब्जा होने के संबंध में कोई आवंटन के समय दस्तावेजी साक्ष्य पेश की तथा आवंटी ने धारा 14(3) की शर्तो की पालना के अभाव में आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन आदेश अप्रार्थीगण ने कपटपूर्वक व मिथ्या तथ्यों के आधार पर करवाया गया है जिससे आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

आवंटन अधिनियम के माफिक आवंटन उसी व्यक्ति को किया जाता है, जो व्यक्ति भूमिहीन होता है बल्कि अप्रार्थीगण के ग्राम बोड़वा में अचल सम्पति स्थित है। जहां पर स्थायी रूप से निवास कर रहे है जो तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों की भूमि भी ग्राम बोडवा में रहती चली आयी है इसलिए अप्रार्थीगण आवंटी के श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। अप्रार्थीगण ने आवंटन कपटपूर्वक तरीके से करवाया गया है व आवंटन अधिनियमों के खिलाफ करवाया गया है तथा अगर कोई व्यक्ति आवंटन कपटपूर्वक करवाता है व आवंटन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ करवाया जाता है तो ऐसा आवंटन आदेश कानूनी रूप से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य होता है।

उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु ग्रामीणों ने भी शिकायते पेश की थी जिस शिकायत पर जॉच की गई तो जॉच के दौरान उक्त भूमि अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं पाया गया और अप्रार्थीगण ग्राम भडाणा के निवासी नहीं होकर ग्राम बोडवा के स्थाई निवासी होना पाया गया था। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश आवंटन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है।

उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा और न ही कब्जा के संबंध में सबूत पेश किये गये थे। ऐसी स्थिति में मात्र बातचीत से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता। बल्कि आवंटन के समय आवंटन की जाने वाली भूमि पर कब्जा होने के संबंध में सबूत पेश किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होता है। जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में की गई भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी भी रूप से किसी भी तरह का कोई कब्जा काश्त नहीं था और न ही आज दिन है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण ग्राम बोड़वा के स्थायी निवासी है तथा ग्राम भडाणा के निवासीगण नहीं है। तथा आवंटन की गई भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई किसी तरह का कब्जा नहीं है। जो तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ खसरा नम्बर 350 गैर मुमकिन मगरा में से 15 बीघा भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी. एन.जे.(राज.) 2015(1) पेज 107–109, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 797–802, आर.आर.टी. 2007(2) पेज 916–918, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 117–123, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 400–402, आर.आर.टी. 2006(2) पेज 710–715 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

वकील अप्रार्थी ने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र अधीन धारा 14 (4) आंवटन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करना दर्शित किया है जब कि ऐसा कोई अधिनियम प्रभाव में नहीं है तथा न ही धारा 14(4) ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत करने के लिये ही है। अलबता राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि

Scanned by CamScanner

आंवटन) नियम 1970 अवश्य बने हुऐ है जिन के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त किये जाने के है। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थीगण ग्राम बोडवा तहसील जायल के स्थाई निवासी है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अप्रार्थीगण के पुश्तैनीय मकान बोडवा में अवश्य है मगर अप्रार्थीगण के पिता के ग्राम भडाणा में विवादित कृषि भूमि में काश्त करते थे तथा खेत में ही बनी ढाणी में अपने परिवार सहित निवास करते थे। वर्ष में जब काश्त का काम बारिस के मौसम के बाद नहीं रहता तो अन्य मजदूरी कार्य करने तथा अपने परिवार का लालन पालन करने के लिऐ अपने ग्राम बोडवा आ जाते थे तथा कृषि के समय अप्रार्थीगण अपने पिता के साथ स्थाई रूप से खेत में ढाणी में निवास करते थे।

खसरा नम्बर 350 में से 15 बीघा भूमि अप्रार्थीगण को आंवटित की गई जिस पर अप्रार्थीगण के पिता के समय से ही कब्जा काश्त रहता चला आया है। प्रार्थी का यह कथन कि उक्त भूमि आज दिन मगरा के रूप में उपयोग उपभोग आ रही हो पूर्णतः गलत है। खसरा नम्बर 350 की अधिकांश भूमि को प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पुराने कब्जो के आधार पर आंवटन नियमन सूची तैयार कर सरकार द्वारा आंवटन आदेश जारी किये गये थे तथा अप्रार्थी का खसरा नम्बर 350 की 15 बीघा भूमि पर पिता के समय से ही कब्जा काश्त रहता चला आया है जिस का इन्द्राज खसरा परिवर्तन निर्धारण गैर मुस्तकिल काश्त में सम्वत 2038 से लगातार होना दर्शित किया गया है जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करता है कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त उन के पिता के समय से रहता चला आया है तथा उसी के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को नियमानुसार बाद जांच कृषि भूमि आंवटित की गई है जो आंवटन आदेश पूर्ण रूप से विधि सम्वत पारित किया गया है जिसे निरस्त करवाने का प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है।

प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण ने उक्त मगरा की भूमि को हडपने की नियत से अपने आप को ग्राम भडाणा के स्थाई निवासी बताते हुए फर्जी तरीके से व झूठे तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश कर कपट पूर्वक आंवटन कमेटी से आंवटन करवाया है गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही सम्वत 2038 से विवादित भूमि 15 बिघा पर काबिज काश्त करते आये है तथा पिता के साथ ही खेत में बनी ढाणी में स्थाई रूप से निवास करते थे तथा फसल अवेरते थे इसलिए उन्होंने आंवटन पत्र में सही व सत्य तथ्यों का उल्लेख किया है। जिस की सत्यता पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट तस्दीक पटवारी रिपोर्ट 26.6.2002 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। जिस में अप्रार्थीगण को भूमिहीन तथा खसरा नम्बर 350 मगरा के 15 बीघा भू भाग पर पुराना कब्जा तथा मौका पर काश्त होना प्रमाणित माना है। प्रार्थी का यह कथन कि जिस ग्राम में भूमि स्थित होती है आंवटी भी उसी ग्राम का स्थाई निवास होना चाहिए गलत होने से अस्वीकार है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत भूमिहीन काश्तकारों को कृषि हेतु भूमि आंवटन किये जाने का प्रावधान है तथा इस के तहत अधिनियम व नियमों में ऐसा कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है जिस के तहत भूमि जिस ग्राम में स्थित हो आंवटी भी उसी ग्राम का स्थाई निवास होना आवश्यक हो। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता के समय से सम्वत 2038 से कब्जा काश्त रहता आया है तथा उसी आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में आंवटन आदेश जारी किया गया है, से पूर्ण रूप से विधि सम्मत पारित किया गया है।

प्रार्थीगण का यह कथन कि आंवटी ने धारा 14 (3) की शर्तो की पालना नहीं की है इसलिए उस के अभाव में आंवटन निरस्त किये जाने योग्य हो पूर्ण रूप से गलत है। धारा 14 (3) में ऐसी कौन सी शर्ते है जिन का पालन आंवटी द्वारा नहीं किया गया है इस का कोई स्पष्ट विवरण प्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी के पास विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी कोई काश्त हेतु भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण को भूमि आंवटन से पूर्व इस सम्बन्ध में पूर्णतः जांच कर ली गई थी तथा पटवारी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण भूमिहीन होना स्पष्ट उल्लेख किया गया है उक्त भूमि के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के पास कृषि काश्त हेतु अन्य कौन सी भूमि है कहां है इस बावत भी प्रार्थी द्वारा स्पष्ट उल्लेख नहीं कर मात्र काल्पनिक तथ्यों का अंकन मात्र किया गया है जो माने जाने योग्य नहीं है। ग्राम बोडवा में अप्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों की काश्त के रूप में उपयोग की जाने वाली कोई भूमि नहीं है प्रार्थी द्वारा मात्र गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी को आंवटन पूर्ण रूप से नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है जो किसी भी रूप में निरस्त किया जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी का मात्र यह कथन कर देना कि आंवटन अधिनियमों के खिलाफ है आंवटन निरस्त करने का अधिकार नहीं हो सकता। प्रार्थी को उन प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है जो आंवटन को गलत कानूनी प्रावधानों के विपरीत होना प्रमाणित करते है। प्रार्थी द्वारा

Scanned by CamScanner

ऐसे किन्ही ठोस आधारों का उल्लेख ही नहीं किया गया है मात्र व्यक्तिगत रंजिश की वजह से तथा स्वंय उक्त भूमि को हडपने की नियत रखने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत व झूठे तथ्यों को आधार बना कर उसे तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी के आंवटन को निरस्त करने हेतु ग्रामीणों ने शिकायतें पेश की जिस पर जांच की गई तथा दौराने जांच अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं माना हो तथा उन्हे बोडवा के स्थाई निवासी होना पाया गया हो इन तथ्यों बाबत अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। यदि प्राथीगण द्वारा मिलावट कर ऐसी कोई फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार करवा ली गई है तो वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध काम मे नही ली जा सकती। क्योंकि बिना किसी प्रकार की सूचना किये तथा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई जांच रिपोर्ट मिलावट से तैयार करवा ली है तो वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध विधि विरूद्ध होने से काम में नहीं ली जा सकती है। आंवटन पूर्ण रूप से नियमानुसार होने से किसी भी रूप में निरस्त होने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी कपट पूर्ण कार्य नहीं किया गया है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में जारी आंवटनपूर्ण रूप से विधिनुसार विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए किया गया है जो किसी भी रूप में निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 350 के रकबा 15 बीघा पर अप्रार्थीगण के पिता के समय से ही कब्जा काश्त रहता आया है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई कृषि भूमि अप्रार्थी के पास काश्त हेतु नहीं थी और न ही आज दिन है। अप्रार्थी को उक्त भूमि पिता के समय से पुराने कब्जा के आधार पर माने जा कर ही आंवटित की गई थी उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता का सम्वत 2038 से लगातार कब्जा काश्त खसरा परिवर्तन निर्धारण से भली भांती प्रमाणित है तथा खसरा नम्बर 350 सम्पूर्ण का आज दिन मगरा के रूप में उपयोग उपभोग लेने का जो कथन प्रार्थी द्वारा अभिलिखित किया गया है वह पूर्ण रूप से गलत अंकित किया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान कृषि भूमि आंवटन/नियमन के आसामियों की जो सूची तैयार कर उसके अनुसार आंवटन किया गया उस में क्रम संख्या 128, 131, 132 व 135, 136, 139, 141, 143, 144 पर उन सभी काश्तकारों के नाम अंकित है जिन का खसरा नम्बर 350 में भूमि आंवटित की जो सूची तैयार की गई है उस में इन्द्राज है तत्पश्चात् दिनांक 26.06.2002 को भूमि आंवटन का आदेश पारित कर दिया गया साथ ही सूची के अनुसार आंवटियों को कब्जा सुपुर्द तत्काल करने का भी उक्त आदेश में उल्लेखित किया गया था परन्तु विवादित भूमि पर पहले से ही कब्जा पिता के समय अप्रार्थीगण का था।

प्रार्थी एक बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण को उन के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर स्वंय नाजायज तरीके से हडपना चाहता है जिस का प्रयास भी प्रार्थी द्वारा अपने पुत्रों व रिश्तेदारों के साथ मिल कर किया गया तब अप्रार्थीगण को घोषणा खातेदारी व स्थाई व्यादेश का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत करना पडा जो वर्तमान में सहायक कलक्टर (मुख्यालय) में विचाराधीन है जिस में प्रार्थी स्वंय बतौर प्रतिवादी संख्या 6 पक्षकार है। जिसमें प्रार्थी ने अपनी उपस्थिति दिनांक 4.12.2012 दी गई थी, तब से प्रार्थी को उक्त आंवटन आदेश जिसे इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से चुनौती दी है कि जानकारी रहती चली आई है उक्त वाद में अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी के अनुतोष की मांग भी की गई है। उक्त वाद में अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी के अनुतोष की मांग की गई है उक्त वाद की जानकारी होते हुए भी उन तथ्यों को प्रार्थना पत्र, में जानबूझकर छिपाया गया है तथा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है जो प्रार्थी की बदनीयति को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, बदयान्ति पूर्ण होने से काबिल खारिज किये जाने के है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में आंवटन आदेश की चुनौती देने के जो आधार बतलाऐं गये है उनमें विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहना, आंवटी का उसी गांव का निवासी नहीं होना जिस में भूमि आंवटित की गई है, अप्रार्थीगण का भूमिहीन नहीं होना तथा इस विवादित भूमि के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के पास अन्य भूमि होना, जांच के दौरान उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं पाया जाना आदि प्रार्थी द्वारा दर्शित सभी तथ्य सही है अथवा गलत है, ये साक्ष्य का विषय है। जिन पर साक्ष्य लिये बगैर निर्णय किया जाना न तो उचित है और न ही न्यायसंगत है। इन सभी तथ्यों पर राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) में विचाराधीन प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत की जायेगी। प्रार्थी ने यह सभी तथ्य अपनी साक्ष्य से राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। प्रार्थी ने यह सभी तथ्य अपनी साक्ष्य से राजस्व न्यायालय के समक्ष साबित करने है जो प्रमाणित कर पाना प्रार्थी के लिये संभव नहीं लगा इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिल निरस्त किये जाने के है।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में हुए भूमि आंवटन आदेश दिनांक 26.06.2002 के आधार पर ही पिता के समय से भूमि पर कब्जा काश्त होने से खातेदारी घोषणा का वाद सन 2012 में ही राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लिये जाने के बाद मेरिट पर निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी ने आवेदन के जो आधार बतलाये गये है उन पर बिना साक्ष्य लिये उनकी सत्यता को निर्धारित करना विधि के प्रावधानों के विपरीत होगा। साथ ही प्रार्थी ने ग्रामीणों की शिकायत की जांच का उल्लेख किया है उक्त जांच में यह स्पष्ट अंकित किया गया है नियमन आंवटन सलाहकार समिति के कब्जे के सबूतों के आधार पर ही नियमन/आंवटन किया है तथा नियमन/आंवटन सलाहकार समिति ने नियमन/आंवटन नियमानुसार किया है जो तथ्य भी इस बात को स्वतः प्रमाणित करता है कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त था तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार विधिक प्रक्रियाओं का पालन कर भूमि आंवटन आदेश पारित किया गया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त फरमाया जाने का कथन करते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में आंवटन नियमानुसार किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी के साथ कपट नही किया। दस्तावेजी साक्ष्य से अप्रार्थीगण का कब्जा विवादित भूमि पर सम्वत 1938 से निर्विवाद रूप से पिता के समय से रहता चला आया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण ने क्या व किस के साथ दुव्यपदेशन किया है आदि। इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र निरर्थक व मिथ्या कथनों के आधार पर आधारित होने से काबिल निरस्त किये जाने के है। प्रार्थी का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में अपेक्स कोर्ट जजमेन्टस् 2018(3) पेज 750–754, आर.आर.डी. 14.03.2016 पेज 163–169, आर.आर.डी. 14.07.2017 पेज 441–445 एवं डी.एन.जे. 2016(2) (राज.) पेज 732–734 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया नियमन/आवंटन पूर्णतया विधि अनुसार सही होने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया हैं।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने ग्राम भडाणा के खसरा नम्बर 350 के रकबा 15 बीघा गैर मुमकिन मगरा भूमि पर पुराने कब्जा काश्त तथा स्वंय को भूमिहीन काश्तकार होना अवगत कराते हुऐ कृषि व्यवसाय हेतु अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष उक्त भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पटवारी भडाणा ने अप्रार्थीगण को भूमिहीन एवं खसरा नम्बर 350 किस्म मगरा भूमि पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त होना, किसी प्रकार की आरक्षित भूमि नहीं होना एवं अप्रार्थीगण को सदभावी काश्तकार मानते हुएं संवत् 2045 से 2054 तक पिता के नाम अतिक्रमण दर्ज होना बताया एवं उक्त 15 बीघा भूमि पर संवत 2045 में बाजरी व गवांर, संवत 2046 व 2047 में बाजरी व तिल, संवत 2048 में तिल, संवत 2049 बाजरी व तिल, संवत् 2050 में तिल, संवत 2051 में बाजरी, संवत 2053 में तिल व बाजरी, संवत् 2054 में जंवार व तिल, व संवत् 2058 में कब्जा बताया गया, पटवारी भडाणा की उक्त तस्दीक रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक मूण्डवा के भी हस्ताक्षर है। जिस पर आवंटन कमेटी के सदस्यों यथा प्रधान, तहसीलदार, सरपंच, सहवृत सदस्य द्वारा दिनांक 26.06.2002 को अप्रार्थीगण ग्राम भडाणा के खसरा नम्बर 350 रकबा 15 बीघा गैर मुमकिन मगरा भूमि में से 15 बीघा भूमि निशुल्क नियमन की सिफारिश की जाने पर प्रभारी अधिकारी पं.सं. मूण्डवा प्रशासन गांवों के संग, उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ द्वारा दिनांक 26.06.2002 को अप्रार्थीगण को मौजा भडाणा के खसरा नम्बर 350 गैर मुमकिन मगरा भूमि में से 15 बीघा भूमि निशुल्क नियमन किया गया है। इस प्रकार पटवारी व भू अभिलेख की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण भूमिहीन व सदभावी काश्तकार होने तथा अप्रार्थीगण के पिता के नाम अतिक्रमण दर्ज होने एवं उक्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा काश्त करने आवंटन कमेटी की सिफारिश पर नियमन किया गया है, जो विधि सम्मत है। इसके अलावा वकील प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई तर्क संगत ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि है, जिससे कि उक्तानुसार किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त किया जा सके। इस प्रकार अप्रार्थीगण को किये गये उक्त नियमन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा आवंटन पश्चात आंवटन की शर्तों का उल्लंघन करना पाये जाने पर संबंधित तहसीलदार को उक्त आवंटन के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रखाजाता है। तहसीलदार नागौर को उनकी मूल आवंटन पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति एवं तहसीलदार मूण्डवा निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:25:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: